न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः— मांगीलाल आर.ए.एस. (प्रशिक्षु)
प्रकरण संख्याः—282/2019
वादपत्र अन्तर्गत धारा :—88/53 आरटीए

1. जगनन्दन सिह 2. गुरमीत सिह 3. शविन्द्र सिह पुत्र गुरजण्ट सिह	पि. गुरचरण सिह	जाति तरखान सा. भाखरांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

— वादीगण

बनाम

1. भागवन्ती कौर पत्नि गुरचरण सिह जाति तरखान सा.भाखरांवाली तह. संगरिया
2. सुरेन्द्र कौर पुत्री गुरचरण सिह पत्नि स्वर्ण सिह जाति तरखान सा. जण्डावाली तह. व जिला हनुमानगढ
3. जसविन्द्र कौर पुत्री गुरचरण सिह पत्नि कुलवन्त सिह जाति तरखान सा. डूगरसिहपुरा तह. सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
4. गुरजण्ट सिह पुत्र जंगीर सिह — जाति तरखान सा.भाखरांवाली तह. संगरिया
5. अवनिन्द्र कौर पुत्री गुरजण्ट सिह — जिला हनुमानगढ
6. शाखा प्रबन्धक बैक ऑफ बडौदा शाखा संगरिया तह. संगरिया
7. तहसीलदार राजस्व संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

— प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1. श्री नक्षत्र सिह सिद्धू — वकील वादीगण
2. श्री चरणजीत सिह सिद्धू — वकील प्रति सं. 1 ता 5

निर्णय दिनांक :—

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण का पंजीयत पता सिविल प्रकिया संहिता के अनुसार वही है जो दावा शीर्षक मे दर्ज है। गुरचरण सिह पुत्र जंगीर सिह एवं प्रति स. 1 के नाम चक 1 के.एस.डी. खाता स. 43/58 खाता गुरचरण सिह वगैरा ज.स. 2068—71 में कुल 5.061 है0 आराजी दर्ज है। उक्त चक के उक्त खाता की नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी गुरचरण सिह पुत्र जंगीर सिह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जो कि फौत हो गये है। जिनके वारिसान वादी स. 1 व 2 तथा प्रति स. 1 ता 3 ही है। जो कि गुरचरण सिह के नाम दर्ज आराजी के ब.हि.ब. के हकदार है। किन्तु प्रति स. 2 व 3 ने अपने समस्त हक व हिस्सा की आराजी का परित्याग वादी स. 1 व 2 तथा प्रति स. 1 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। अतः उक्त आराजी में इनका कोई हक व हिस्सा नही है। इसलिए गुरचरण सिह पुत्र जंगीर सिह के नाम दर्ज समस्त आराजी के वादी स. 1 व 2 व प्रतिस. 1 ब.हि. ब. के खातेदार का तकार है।इसी कदर की घोशणात्मक डिग्री वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी एवं दावेदार है।

दावा की दफा 3 में दर्ज आराजी का वादीगण व प्रति स. 1 ता 5 ने का त की सुविधानुसार घरू विभाजन कर रखा है। इस घरू विभाजन अनुसार वादीगण के हिस्सा में निम्नानुसार आराजी आई हैः—

(1) वादी स. 1 जगनन्दन सिह पुत्र गुरचरण सिह का 1.012 है0हिस्सा,व वादी स. 2 गुरमीत सिह पुत्र गुरचरण सिह का 1.012हिस्सा व प्रति स. 1 भागवन्ती कौर पत्नी गुरचरण सिह का 0.507 है0 हिस्सा का हिस्साः—

चक 1 के.एस.डी.

168/121	89	16/.228 17—23—24/.253प्र. 25/.228 गै.मु./.051 = 1.266है0
168/122	91	4/.253 5/.228 गै.मु./.025 = 0.506है0
169/122	92	1—2—3/.253प्र. = 0.759

(2) वादी स. 3 शविन्द्र सिह पुत्र गुरजण्ट सिह का हिस्साः'—

चक 1 के.एस.डी.

169/121	88	12—13—18—19—20/.253प्र. = 1.265 है0

(3) प्रति स. 4 गुरजण्ट सिह पुत्र जंगीर सिह का हिस्साः—

चक 1 के.एस.डी.

169/121	88	21—22—23—24/.253प्र. = 1.012 है0
169/122	92	4/.253 = 0.253 है0

वादीगण ने प्रति स. 1 ता 5 को कई दफा कहा की आप हमे दावा की दफा 3 में दर्ज आराजी का दावा की दफा 4 के अनुसार खातेदार का तकार मान लो व हमारा खाता दावा की दफा 4 के अनुसार अलग कायम करवा दो तो पहले तो वे टालमटोल करते रहे लेकिन पिछले सप्ताह वे वादीगण के इस निवेदन से स्पश्ट इंकारी हो गये । बस यही विनाय दावा है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर से न्यायालय में जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब दावा पेश कर वाद को स्वीकार किया गया। जवाब दावा के साथ पक्षकारों की आईडी की चित्रप्रतियां स्वहस्ताक्षरित पेश। प्रतिवादी संख्या 6 बैंक की ओर से व प्रतिवादी संख्या 7 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील वादीगण ने सरपंच ग्राम पंचायत भाखरावाली की ओर से गुरचरण सिह एवं प्रतिवादी संख्या 4 गुरजन्ट सिह का जारी वारिसनामा मूल प्रस्तुत किया। वकील वादीगण की ओर से साक्ष्य वादी में वादी संख्या 2 गुरमीत सिह की ओर से आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का शपथ—पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील वादीगण फार्म नं. 3 के साथ पैतृक सम्पति साक्ष्य में चक 1 केएसडी खाता संख्या 48/50 जमाबन्दी सम्वत 2052 जंगीर सिह वगैरा की मूल पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने कथन किया कि चक 1 के.एस.डी. खाता स. 43/58 खाता गुरचरण सिह वगैरा में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से 5.061 है. आराजी पैतृक सम्पति है। बहस में यह भी कथन किया कि वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबति करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादीगण ने चक 1 के.एस.डी. खाता स. 43/58 खाता गुरचरण सिह वगैरा की जमाबन्दी प्रमाणित की प्रति पेश की है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। सरपंच ग्राम पंचायत भाखरावाली से जारी वारिसान तस्दीक के आधार पर वादपत्र में पक्षकार संयोजित किये गये है। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी वादी संख्या 1,2 व प्रतिवादी संख्या 3,4 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पति गुरचरण सिह के नाम दर्ज है तथा प्रतिवादी सं. 4 गुरजन्ट सिह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। पैतृक सम्पति साक्ष्य में चक 1 केएसडी खाता संख्या 48/50 जमाबन्दी सम्वत 2052 जंगीर सिह वगैरा की जमाबन्दी से वादगत आराजी पैतृक सम्पति होना प्रमाणित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपस में आराजी की घोषणा बाबत सहमति के जवाबदावा पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीगण साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाबदावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाब दावा के आधार पर चक 1 के.एस.डी. खाता स. 43/58 खाता गुरचरण सिह वगैरा में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 4 को निम्नानुसार भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता अलग कायम किये जाने आदेश दिये जाते है:–

वादी स. 1 जगनन्दन सिह पुत्र गुरचरण सिह का 1.012 है0 हिस्सा,व वादी स. 2 गुरमीत सिह पुत्र गुरचरण सिह का 1.012 हिस्सा व प्रति स. 1 भागवन्ती कौर पत्नी गुरचरण सिह का 0.507 है0 हिस्सा का हिस्सा चक 1 के.एस.डी.

पं.नं.	मु.न.	किला नं.
168/121	89	16/.228 17–23–24/.253प्र. 25/.228 गै.मु./.051=1.266है0
168/122	91	4/.253 5/.228 गै.मु./.025 = 0.506है0
169/122	92	1–2–3/.253प्र. = 0.759 है.

वादी स. 3 शविन्द्र सिह पुत्र गुरजण्ट सिह का हिस्सा चक 1 के.एस.डी.

पं.नं.	मु.न.	किला नं.
169/121	88	12–13–18–19–20/.253प्र. = 1.265 है0

प्रति स. 4 गुरजण्ट सिह पुत्र जंगीर सिह का हिस्सा चक 1 के.एस.डी.

पं.नं.	मु.न.	किला नं.
169/121	88	21–22–23–24/.253प्र. = 1.012 है0
169/122	92	4/.253 = 0.253 है0

उक्त खाता में से गुरचरण सिह पुत्र जंगीर सिह का नाम कलमजन किये जाने तथा प्रति स. 4 गुरजण्ट सिह का हिस्सा कम किया जाकर शेष हिस्सा बदस्तुर रखे जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिग्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक.....को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मांगी लाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– मांगीलाल आर.ए.एस. (प्रशिक्षु)
प्रकरण संख्याः–282/2019

1	जगनन्दन सिह	पि. गुरचरण सिह	जाति तरखान सा. भाखरांवाली
2	गुरमीत सिह		तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
3	शविन्द्र सिह पुत्र गुरजण्ट सिह		

– वादीगण

बनाम

1 भागवन्ती कौर पत्नि गुरचरण सिह जाति तरखान सा.भाखरांवाली तह. संगरिया
2 सुरेन्द्र कौर पुत्री गुरचरण सिह पत्नि स्वर्ण सिह जाति तरखान सा. जण्डावाली तह. व जिला हनुमानगढ
3 जसविन्द्र कौर पुत्री गुरचरण सिह पत्नि कुलवन्त सिह जाति तरखान सा. डूगरसिहपुरा तह. सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

4	गुरजण्ट सिह पुत्र जंगीर सिह	जाति तरखान सा.भाखरांवाली तह. संगरिया
5	अवनिन्द्र कौर पुत्री गुरजण्ट सिह	जिला हनुमानगढ

6 शाखा प्रबन्धक बैक ऑफ बडौदा शाखा संगरिया तह. संगरिया
7 तहसीलदार राजस्व संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

– प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस. (प्रशिक्षु) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिह सिद्धू वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री चरणजीत सिह सिद्धू वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 5 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चक 1 के.एस.डी. खाता स. 43/58 खाता गुरचरण सिह वगैरा में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 4 को निम्नानुसार भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता अलग कायम किये जाने आदेश दिये जाते हैः–

वादी स. 1 जगनन्दन सिह पुत्र गुरचरण सिह का 1.012 है0 हिस्सा,व वादी स. 2 गुरमीत सिह पुत्र गुरचरण सिह का 1.012 हिस्सा व प्रति स. 1 भागवन्ती कौर पत्नी गुरचरण सिह का 0.507 है0 हिस्सा का हिस्सा

चक 1 के.एस.डी.

पं.नं.	मु.न.	किला नं.
168/121	89	16/.228 17–23–24/.253प्र. 25/.228 गै.मु./.051=1.266है0
168/122	91	4/.253 5/.228 गै.मु./.025 = 0.506है0
169/122	92	1–2–3/.253प्र. = 0.759 है.

वादी स. 3 शविन्द्र सिह पुत्र गुरजण्ट सिह का हिस्सा

चक 1 के.एस.डी.

पं.नं.	मु.न.	किला नं.
169/121	88	12–13–18–19–20/.253प्र. = 1.265 है0

प्रति स. 4 गुरजण्ट सिह पुत्र जंगीर सिह का हिस्सा

चक 1 के.एस.डी.

पं.नं.	मु.न.	किला नं.
169/121	88	21–22–23–24/.253प्र. = 1.012 है0
169/122	92	4/.253 = 0.253 है0

नोटः– बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार अंकन किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....को जारी किया गया।

(मांगी लाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया